कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र०शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 568 /144/सू.अ./शाखा-1/आउशि/09, भोपाल, दिनांक 5.10.09.

प्रति,

§1§ समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल, जबलपुर, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, संभाग, मध्यप्रदेश ।

§2§ समस्त शाखा प्रभारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल ।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा नवीन निर्देश ।

संदर्भ:- §1§ सा.प्र.वि. का पत्र क्र. एफ 11-9/05/सू.अ.प्र./1-9, दि. 30.7.09 तथा §2§ एफ 12-10/सू.अ.प्र./2009/1-9, दि. 19.8.09 एवं संलग्न भारत सरकार के पत्र दि. 1.6.09, 23.6.09, 1.6.09 एवं पत्र क्रमांक (3) एफ-11-9/05/सूअप्र./1-9, भोपाल, दिनांक 17.9.09 तथा पत्र क्रमांक (4) एफ-11-39/05/सूअप्र./1-9, भोपाल, दिनांक 17.9.09.

:-:-:-:-:

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा जिला मुख्यालयों, तहसीलों एवं ब्लाक मुख्यालयों में समस्त विभागों द्वारा सूचना मेलों का आयोजन, 01 नवम्बर, 09 को आयोजित करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें जिला कलेक्टरों को उनके द्वारा चाही गयी जानकारी में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें ।

संदर्भित पत्र क्रमांक-2, 3, 4 द्वारा प्राप्त नवीन निर्देशों का पालन भी किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार §संदर्भित पत्रों की छायाप्रतियाँ§.

§आयुक्त, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार §.

लोक सूचना अधिकारी,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

आवक क्रमांक 144 ...31.8... अधि./आउशि/200
दिनांक ....

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालन
राज्य मंत्रालय से प्राप्त
पंजी आवक क्रमांक 3/15
दिनांक 29/8/09

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-14-2/07/38-2

भोपाल, दिनांक 29/8/09

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
भोपाल।

2. अवर सचिव
म0 प्र0 शासन,
उच्च शिक्षा (शाखा-01 एवं 03)
मंत्रालय भोपाल।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन।

===

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 1.6.09 एवं 23.6.09 तथा सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 30.7.09 की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(व्ही. एस. तोमर)
अवर सचिव
म0 प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

OSD (RTI)
Website पर प्रदर्शित करें। सभी
शासकीय को ... प्रतिलिपि दें

29 AUG 2009

31/8
(5)
25/8
R
31-8-09

आवक क्र. 1834 /2/367
दिनांक 27/08/2009

(2)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल.

क्रमांक एफ 11–9/05/सूअप/1–9 भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2009

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषय:– सूचना के अधिकार के प्रचार–प्रसार हेतु मेलों का आयोजन ।
संदर्भ:– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 21/08/2007, 07/11/2007

——o——

विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापनों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करे ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु जिला मुख्यालयों, तहसीलों एवं ब्लाक मुख्यालयों में समस्त विभागों द्वारा सूचना मेलों का आयोजन पुनः इस वर्ष 15 अगस्त 2009 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ ही किए जाने तथा 01 नवम्बर 2009 को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर भी ऐसे सूचना मेले आयोजित किये जाने का निर्णय किया गया है ।

3. अतएव आदेशानुसार अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इन सूचना मेलों में विभाग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने में कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने [illegible] निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें ।

29/7/09
(डॉ० अरूणा गुप्ता)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

R. No. 1730/09
10/8/09

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक 23 जून, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 'फाइल नोटिंग' का प्रकटन ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत फाइल नोटिंग के प्रकटन के बारे में स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं । एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है ऐसी फाइल नोटिंग जिसमें अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना निहित है, को छोड़कर फाइल नोटिंग का प्रकटन किया जा सकता है ।

2. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक संभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. सभी अधिकारी/डैस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि - सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-11-24/08/सूअप/1-9/634 भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2009

प्रतिलिपि -

शासन के समस्त विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(एस0एल0पाराशर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

(4)

No. 124/09
दिनांक 15/7/09

No.1/20/2009-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
....

North Block, New Delhi
Dated: the 23rd June, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Disclosure of 'file noting' under the Right to Information Act, 2005.

सूचना का अधिकार

***

The undersigned is directed to say that various Ministries/Departments etc. have been seeking clarification about disclosure of file noting under the Right to Information Act, 2005. It is hereby clarified that file noting can be disclosed except file noting containing information exempt from disclosure under section 8 of the Act.

2. It may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(K.G. Verma)
Director

1. All the Ministries / Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller&Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

R/03
13/7/09

निदेशक लोक शिकायत तथा पेंशन
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

....

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक 01 जून, 2009

R.No. 17291
10/81

(5)

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में डॉ. सेल्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के मामले में 2007 की रिट याचिका सं. 419 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का दिनांक 3.4.2008 का निर्णय ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित मामले में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय ने 3.4.200 को यह निर्णय दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा परिभाषित शब्द 'सूचना' में 'क्यों' जैसे प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं किए जा सकते । निर्णय का संगत भाग नीचे दोहराया जाता है :

"सूचना की परिभाषा अपने दायरे में 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है । ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा । लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया । औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है ।"

2. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष : 23092158

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव ।

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ--11--24/08/सूअप/1--9/635

भोपाल दिनांक 27 जुलाई, 2009

प्रतिलिपि--
शासन के समस्त विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल को ओर आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(एस0के0पाराशर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

No. 1/7/2009-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated: the 1st June, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Decision dated 3.4.2008 of the High Court of Bombay at Goa in Writ Petition No. 419 of 2007 in the case of Dr. Celsa Pinto Vs. Goa State Information Commission regarding information under the Right to Information Act, 2005.

****

The undersigned is directed to say that the High Court of Bombay at Goa in the above referred case has held on 3.4.2008 that the term 'information' as defined in the Right to Information Act does not include answers to the questions like 'why'. The relevant part of the judgement is reproduced below:

> "The definition of information cannot include within its fold answers to the question "why" which would be same thing as asking the reason for a justification for a particular thing. The public information authorities cannot expect to communicate to the citizen the reason why a certain thing was done or not done in the sense of a justification because the citizen makes a requisition about information. Justifications are matter within the domain of adjudicating authorities and cannot properly be classified as information."

2. This may be brought to the notice of all concerned.

(K G Verma)
Director
Tel: 23092158

1. All the Ministries/ Departments of the Government of India
2. ... Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller&Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

(7)

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
राज्य मंत्रालय से प्राप्त
पंजी आवक क्रमांक 3240
दिनांक 10-9-09

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 14-2/07/2-38 भोपाल, दिनांक 10/9/09

प्रति,

1/- आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
म०प्र० भोपाल

2/- अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग (शाखा-1 एवं 3)
मंत्रालय, भोपाल

विषय:- सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन ।

--00--

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 19.8.09 एवं भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 29.8.09 की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

(व्ही. एस. तोमर)
अवर सचिव
म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

OSD (v.i.c.s) हेतु
सभी अधिकारियों के प्रतिलिपि दें

11 SEP 2009

11/09/09

श्री प्रजापति
11-9-09

आवक क्र. 2305/2/38/
दिनांक 23/08/2009

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल.

क्रमांक: एफ–12– 10/सूअप्र/2009/ 1–9 भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2009

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागायुक्त,
5. समस्त कलेक्टर्स,
6. समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषय:– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील के कियान्वयन के संबंध में निर्देश ।**

——0——

उपरोक्त विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील प्रकरणों के निराकरण के संबंध में शासन की जानकारी में ऐसे प्रकरण आये है, जिनमें प्रथम अपील पर अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई है । अपीलीय अधिकारी द्वारा जो शास्ति अधिरोपित की गई है वह अधिनियम की धारा 19 की परिधि में नहीं आती है । आयोग द्वारा इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ~~अधिनियम~~ की मंशा को समझने में अभी भी असमर्थ हैं एवं उनके द्वारा आयोग के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा रहा है।

2/ अधिनियम की धारा–20 के अंतर्गत लोक सूचना/अपीलीय अधिकारी के विरूद्व शास्ति अधिरोपित करने एवं क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का अधिकार राज्य सूचना आयोग को प्रदत्त है

3/ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा जानकारी के लिए प्रस्तुत आवेदन अथवा अपील का निराकरण अर्द्वन्यायिक प्रकिया के अंतर्गत आता है । लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी को इस संबंध में अपने हस्ताक्षर से स्पष्ट आदेश पारित करना आवश्यक है । आदेश में अधिनियम को धाराओं एवं उन कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिनके आधार पर जानकारी देना अस्वीकार किया गया है ।

निरन्तर..........

4/ उक्त परिप्रेक्ष्य में आदेशानुसार लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, अंतर्गत प्राप्त प्रथम अपील का निराकरण अधिनियम की धारा–19 के प्रावधान अनुसार सुनिश्चित करें ।

(डॉ0 अरूणा गुप्ता)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

पृ0 कमांकः एफ–12– 10/सूअप्र/2009/ 1–9
प्रतिलिपिः–
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2009

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च नयायालय, जबलपुर,
2. सचिव,लोकायुक्त, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल,
3. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
6. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल,
7. मुख्य निर्वाचन. पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल,
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
9. सचिव/उप सचिव, म0प्र0राज्य सूचना आयोग, 58, निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स,भोपाल को उनके पत्र कमांक–ए–1431/रासूआ/सी–3/33–01/ग्वालियर/07–08/2986 दिनांक 27.07.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
10. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल,
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च नयायालय जबलपुर/खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालालय, भोपाल,
13. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्य प्रदेश, भोपाल,
15. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,
16. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्य प्रदेश, भोपाल,
17. निज सहायक,प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

सं. 10/2/2008-आई. आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

आवक क्र. 1903/2/38/

दिनांक 29/08/2009

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 01 जून 2009.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से सम्बद्ध सूचना मांगी गई हो।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 12 जून, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा-3 के खण्ड (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नानुसार कहा गया है:-

"सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है । ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हों, को एकत्र किया जाना, सूचना का सृजन किया माना जाएगा । अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है ।"

2. केन्द्रीय सूचना आयोग ने एक अपील का निपटान करते समय यह टिप्पणी की है कि सूचना के एकत्र किए जाने को सूचना का सृजन नहीं माना जा सकता और चाहा कि उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन को संशोधित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम को टाला जा सके ।

3. मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 12.6.2008 के का.ज्ञा. में यह कहना प्रस्तावित नहीं है कि सूचना का एकत्र किया जाना स्वभावतः सूचना का सृजन है । उपर्युक्त वक्तव्य इस बात को बलपूर्वक कहने के लिए दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग-अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करे ।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु सभी सम्बन्धितों के ध्यान में ला दी जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

दूरभाष: 23092158

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।

3. केन्द्रीय सूचना आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली ।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

प्रति प्रेषित: सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

प्रति: केन्द्रीय सूचना आयोग के अपील संख्या-सीआईसी/डब्ल्यू.बी./ए./2007/0155 एंड 1552 के में उनके दिनांक 06.04.2009 के निर्णय के संदर्भ मे ।

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल.

पृष्ठांकन कमांक: एफ–11–24/08/सूअप्र/1–9/718 भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2009

प्रतिलिपि:–

शासन के समस्त विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं ।

(एस0सी0पाराशर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

(12)

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
राज्य मंत्रालय में स्थित
पंजी आवक क्रमांक 3418
दिनांक 25-9-09

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल.

By Hand
25-09-09

क्रमांक: एफ–11–9/05/सूअप्र/1–9

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:– **दिनांक 06 अक्टूबर 2009 से 12 अक्टूबर 2009 तक सूचना का अधिकार सप्ताह का आयोजन कर कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में ।**

संदर्भ:– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 21/06/2007 एवं 07/11/2007 तथा 30 जुलाई 2009

——0——

संदर्भित ज्ञापनों का कृपया अवलोकन करें ।

2/ उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1/34/2009 दिनांक 18/08/2009 की छायाप्रति संलग्न है ।

3 आदेशानुसार अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में भी दिनांक 06 अक्टूबर 2009 से 12 अक्टूबर 2009 तक सूचना का अधिकार सप्ताह का आयोजन किया जावे, जिसके अन्तर्गत सूचना के अधिकार के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु जिला मुख्यालयों, तहसीलों एवं ब्लाक मुख्यालयों में सभी विभागों द्वारा सूचना सप्ताह आयोजित किया जाए ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार ।

OSD (VKS)
OSD (समन्वय)

25 SEP 2009

17/9/09

(डॉ0 अरूणा गुप्ता)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

(13)

पृ0क्र0: एफ–11–9/2005/सूअप्र/1–9 /2/

भोपाल, दिनांक सितम्बर, 20

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
6. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
9. सचिव, म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल,
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल,
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
12. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
13. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
14. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल,
15. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. महालेखाकार, ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

17/9/09

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

.. सरकार
.K. Sarkar
.. सचिव
..nt Secretary
Tel. No. : 23094010
Fax No. : 23092580
E-mail : sarkardk@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
नोर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001

Dated August 18, 2009

D.O. No.F. 1/34/2009-IR

Dear

As you are aware, the RTI Act will be completing four years of its operationalisation on 12th October, 2009. It has been decided that the week preceding it i.e. from 6th to 12th October, 2009 shall be celebrated as the RTI week all over the country. You are requested to kindly organise suitable programs like workshops, lectures, publicity campaigns etc. on the subject during the week to create more awareness about RTI in the populace.

A report on the activities undertaken may kindly be furnished to this Department.

Yours sincerely

(Dr. S. K. Sarkar)

Sh. R C Sahni
Chief Secretary
Madhya Pradesh
Bhopal

No. ..... PS/GAD/09 DATED 29 AUG 2009

26 AUG 2009 PS. GAD

DS(AW)

US (RTI) Pl. put up

(15)

आयुक्त, उच्च ... लय
पंजी आवक क्र. 3412
दिनांक 25-09-09
By Hand 25-9-09

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल.

क्रमांक: एफ–11–39/05/सूअप्र/1–9 भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–24 (4) के तहत जारी अधिसूचना के संबंध में ।**

संदर्भ: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11–39/2005/सूअप्र/1–9,दि. 30/08/07.

000

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–24 की उपधारा–(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ 11–39/2008/सूअप्र/1–9, दिनांक 27 अगस्त, 2009 की प्रति आदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार.

(एस0सी0पाराशर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

OSD (VKS)

... SEP 2009

....निरन्तर....

पृ0क्र0: एफ-11-39/2005/सूअप्र/1-9

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर,

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, लोकायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके जा. क्र.539/विक/पाँच, दिनांक 28.06.2008 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निवार्चन आयोग, भोपाल,
10. सचिव, म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल,
14. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,
17. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

(17)

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2009—भाद्र 5, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्र. एफ. 11-39-2008-सूअप्र-एक-9.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-39-2005-सूअप्र-एक-9, दिनांक 30 अगस्त 2007 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 30 अगस्त 2007 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक (4) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(5) वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन राज्य एंटी इवेजिन ब्यूरो."

No. F. 11-39-2008-RTI-I-9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 24 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification No. F. 11-39-2005-I-9-RTI, dated 30th August 2007, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated 30th August 2007 namely :—

AMENDMENT

In the said notification, after serial number (4) and entries relating therto, the following shall be added, namely :—

"(5) Anti-evasion Bureaus of the State under the Commercial Tax Department.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप खरे, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.